# यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

**पंजीकरण संख्या–538**
**ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध**
**केन्द्रीय कार्यालय :** 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
**पत्र व्यवहार :** 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**


**परिपत्र संख्या :** 2016–19/16/2018 **दिनांक :** 19.02.2018

**सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों**
**जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु**

प्रिय साथियों,

## पीएनबी – रू0 11400 की धोखाधड़ी

पंजाब नैशनल बैंक में हुई रू0 11400 करोड़ की धोखाधड़ी के विषय पर एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा 18.02.2018 को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

**(मदन मोहन राय)**
**महामंत्री**

---

**सी.एच. वेंकटचलम्, महामंत्री, एआईबीईए** **18.2.2018**
**द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति**

- **दोषियों को आरोपित करने के लिए एआईबीईए पीएनबी धोखाधड़ी में सीबीआई जाँच की माँग करती है।**
- **भविष्य में 'निमो'निया बीमारी से बैंकों को छुटकारा दिलाने के लिए एआईबीईए संसदीय जाँच की माँग करती है।**
- **सरकार को धोखाधड़ी की जाँच पूरी होने तक बैंक से पीएनबी शीर्ष प्रबन्धन को दूर रखना चाहिए।**
- **हम निरव मोदी और उसके सहयोगी के प्रत्यर्पण और मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लाए जाने की माँग करते हैं।**

---

ऐसे समय में जब बैंक भारी पैमाने में न वसूली योग्य खराब ऋणों की समस्या का सामना कर रहे हैं और अर्जित मुनाफे से किए गए प्रावधानों के कारण नुकसान में जा रहे हैं, **पीएनबी–निमो** धोखाधड़ी एक बहुत बड़ा झटका है जिसने बैंकों की कॉर्पोरेट लूट की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर किया है और इस प्रकार, लोगों के धन की।

धोखाधड़ी के परिमाण को एक बैंक एक शाखा दो कर्मचारियों तक सीमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी बड़ी धोखाधड़ी को सरल तरीके से नहीं किया जा सकता है कि किसी को इसके बारे में खबर हुए बिना एक शाखा अधिकारी 6 या 7 वर्ष की अवधि में 11400 करोड़ के लिए एलओयू (लैटर ऑफ अंडरस्टैडिंग) दे देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शाखा अधिकारी की गंभीर सहभागिता हुई है। लेकिन यह विश्वास करना भोलापन है कि इस धोखाधड़ी में कोई और शामिल नहीं है। कम से कम यह निरव मोदी की जानकारी के बिना नहीं हो सकता है जिसके पक्ष में ये एलओयू दिए गए हैं। धोखाधड़ी ने पूरे प्रकरण में आरबीआई की भूमिका के अलावा तकनीकी मुद्दों, पर्यवेक्षण, निगरानी, लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण आदि पर कई सवाल उठाए हैं।

*जारी पृष्ठ 2*

- ऐसा कैसे हो सकता है कि आरबीआई जो बैंकों की एक नियमित लेखा परीक्षा करती है, कई वर्षों और संलिप्त धन की मात्रा के बावजूद, धोखाधड़ी को भांप तक नहीं सका ?

- क्या सॉफ्टवेयर **स्विफ्ट** जो कि धोखाधड़ी के लिए उपयोग किया गया बैंकिंग क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित था अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो आरबीआई ने इसकी पूर्णतया जाँच और जोखिम का मूल्यांकन क्यों नहीं किया ?

- प्रसिद्ध हर्षद मेहता घोटाला बैंकिंग प्राप्तियों के तथाकथित 'नवप्रवर्तनकारी' उपायों की वजह से था जिसने बैंकिंग क्षेत्र को गहरे संकट में डाल दिया। निरव मोदी धोखाधड़ी ने नए साधन लैटर ऑफ अंडरस्टैडिंग का लाभ उठाया है। क्या आरबीआई इस बारे में कुछ करने जा रहा है ?

- सभी संभावनाओं में आरबीआई एलओयू को अपनाने से इंकार कर देगा क्योंकि इसमें बैंकरों की प्राप्तियां थीं। यदि ऐसा है तो आरबीआई ने इन गारंटियों, जोखिमों की जांच के बारे में बैंकों से सवाल क्यों नहीं किए और करदाताओं के पैसे को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक फायरवॉल क्यों नहीं बनाए ?

- स्पष्ट रूप से आरबीआई सुभेद्य बैंकिंग क्षेत्र के नियामक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में बुरी तरह से विफल हो गया है। गर्वनर चुप क्यों है? क्या यह उनका मामला है कि अब एक 'अपराधी कर्मचारी' बिना पता लगे रू0 11000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी में मदद कर सकता है? अगर ऐसा है तो क्या आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र का पूरा पतन स्वीकार नहीं कर रहा है, जहां नियामक होने के बजाय इसकी अक्षमता और उदासीनता देश के लिए इसे एक जोखिम बनाती है।

- नियमों के विपरीत इतने वर्षों तक उस शाखा अधिकारी को उसी शाखा/विभाग में क्यों रखा गया ? उच्च नियंत्रक अधिकारियों का क्या स्पष्टीकरण है।

- बैंक नॉस्ट्रो खाते के बारे में क्या है, क्या इस खाते में प्रविष्टियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अथवा किस तरह से धोखाधड़ी को कायम रखा गया।

- जब कि निरव मोदी के अन्य ऋणों को मंजूरी दी गई और नवीनीकरण किया गया, तो उसकी बड़ी व्यापार मात्रा, आयात बिल व्यवसाय आदि को अनदेखा क्यों किया गया।

- क्या ऐसा है कि कोई भी कर्मचारी एलओयू जारी कर सकता है और बिना किसी की जानकारी के स्विफ्ट द्वारा विदेशी प्रतिनिधियों को सलाह दे सकता है। यदि ऐसा है, तो क्या यही बैंकिंग है।

- क्या शीर्ष प्रबंधन का मानना है कि केवल कुछ स्थानीय अधिकारी शामिल हैं और शीर्ष प्रबंधन की कोई जबावदेही नहीं है।

- केवल निचले स्तर के शाखा कर्मचारियों को निलंबित करके, क्या वे पूरे प्रकरण से खुद को निकालना चाहते हैं। भिन्न–भिन्न प्राणियों के लिए भिन्न–भिन्न नियम नहीं हो सकते।

जबकि हम निचले स्तर पर गलत करने वालों का समर्थन नहीं करते है, तो यह धारणा जाती है कि केवल निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं। उनको निलंबित करने के लिए इतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी क्यों। यह सरकार के लिए विवेकपूर्ण होगा कि हस्तक्षेप करे और जब तक कि जांच पूरी और जबावदेही तय न हो तब तक बैंक से सम्पूर्ण शीर्ष प्रबंधन और उच्चाधिकारियों को दूर रखा जाए। यह सभी बैंकों में निचले स्तर पर सामान्य कर्मचारियों और अधिकारियों की आम अपेक्षा है।

यह बहुत आश्चर्यजनक है कि बैंकों के कार्यकारी निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्ष, बैंकों के निदेशकों को किसी अनुशासनिक और आचरण विनियमों द्वारा कवर नहीं किया जाता है जबकि वे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। उन्हें भी बैंकों के अन्य अधिकारियों की तरह उसी नियम समूहों द्वारा कवर किया जाना चाहिए। सरकार को इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए।

ह0..
**सी.एच. वेंकटचलम्**
**महामंत्री**